

॥ कार्यालय कलक्टर गढ़वाल ॥

संख्या 351()/आठ-भू0अ0 (2016-17) पौड़ी दिनांक 01 फरवरी, 2018
 नाम- ग्राम- बागवान लगा चोपड़ा, तहसील पौड़ी, जनपद गढ़वाल।

हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 781/XVIII(3)/2017-02(61)/2017 दिनांक 09 नवम्बर 2017 के क्रम संख्या 111 के क्रम में, कलक्टर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 21 के अधीन सार्वजनिक सूचना, दिनांक 08 दिसम्बर 2017 जो कि दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की गई कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना हेतु निम्न वर्णित भूमि की आवश्यकता है:-

खाता संख्या	सर्वेक्षण संख्या T	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0में)	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
					उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	3	संयुक्त	द0ब0	0.016	2	4	5	4	1	1	-	-
	77	संयुक्त	कृषि	0.003	75	78	75	76	-	-	-	-
	78	संयुक्त	कृषि	0.004	77	81	75	76	-	-	-	-
	81	संयुक्त	कृषि	0.005	78	83	82	80	-	-	-	-
	82	संयुक्त	कृषि	0.018	75	84	75	81	-	-	-	-
	83	संयुक्त	कृषि	0.005	81	85	84	76	-	-	-	-
	84	संयुक्त	कृषि	0.020	82	85	75	83	1	1	-	-
	85	संयुक्त	कृषि	0.014	83	86	93	76	1	-	-	-
	86	संयुक्त	कृषि	0.020	85	87	85	76	-	-	-	-
	87	संयुक्त	कृषि	0.025	86	88	92	76	-	-	-	-
	88	संयुक्त	कृषि	0.015	87	91	92	76	-	-	-	-
	89	संयुक्त	कृषि	0.009	88	106	90	76	-	-	-	-
	90	संयुक्त	कृषि	0.012	91	94	92	89	-	-	-	-
	91	संयुक्त	कृषि	0.011	88	90	92	88	-	-	-	-
	92	संयुक्त	कृषि	0.005	85	93	93	91	-	-	-	-
	93	संयुक्त	कृषि	0.018	84	100	75	95	3	2	-	-
	94	संयुक्त	कृषि	0.006	90	95	93	106	-	-	-	-
	95	संयुक्त	कृषि	0.013	94	96	93	106	-	-	-	-
	96	संयुक्त	कृषि	0.005	95	97	93	106	-	-	-	-
	97	संयुक्त	कृषि	0.006	96	98	93	106	-	-	-	-
98	संयुक्त	कृषि	0.020	97	99	100	106	-	-	-	-	
99	संयुक्त	कृषि	0.013	98	102	101	106	-	-	-	-	
100	संयुक्त	कृषि	0.014	93	101	75	101	-	3	-	-	
101	संयुक्त	कृषि	0.011	100	103	100	75	-	-	-	-	
102	संयुक्त	कृषि	0.013	99	103	101	106	-	-	-	-	

103	संयुक्त	कृषि	0.020	102	105	101	104	—	—	—	—
104	संयुक्त	कृषि	0.016	103	106	103	106	—	—	—	—
105	संयुक्त	कृषि	0.010	104	106	103	106	—	—	—	—
113	संयुक्त	कृषि	0.003	112	114	106	114	—	1	—	—
114	संयुक्त	कृषि	0.003	113	115	126	120	—	—	—	—
115	संयुक्त	कृषि	0.003	114	116	126	118	—	—	—	—
116	संयुक्त	कृषि	0.003	115	117	126	118	—	—	—	—
117	संयुक्त	कृषि	0.003	116	118	126	126	—	—	—	—
118	संयुक्त	कृषि	0.004	117	119	126	122	—	—	—	—
119	संयुक्त	कृषि	0.003	118	120	126	123	—	—	—	—
122	संयुक्त	कृषि	0.003	119	124	126	123	—	—	—	—
127	संयुक्त	कृषि	0.100	126	128	73	118	6	11	—	—
योग	37	—	—	0.472	—	—	—	12	19	—	—

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

प्रताप सिंह पुत्र नौरतू 15हि0 नरेन्द्र सिंह पुत्र कुवंर सिंह 5 हि0 दलीप सिंहपुत्र कुवंर सिंह 5 हि0 विजय सिंहपुत्र कुवंरसिंह 5 हि0 शान्ति देवी पत्नी बलवीर सिंह 10 हि0 रवीन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह 10 हि0 अरविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह 10 हि0 विशेश्वरी देवी पत्नी प्रेम सिंह 2 हि0 दिनेश सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2 हि0 महेश सिंह पुत्र प्रेम सिंह 2 हि0 सुन्दर सिंह पुत्र भजन सिंह 6 हि0 मंगल सिंह पुत्र भजनसिंह 6 हि0 राजेन्द्र सिंह पुत्र भजन सिंह 6 हि0 मुकेश पुत्र चिन्ता सिंह पोता मंगल 6 हि0 सते सिंह पुत्र प्रतापसिंह 3 हि0 आशीष पुत्र शंकर सिंह 1 हि0 अंकित पुत्र शंकर सिंह 1 हि0 विद्याता देवी पत्नी शंकर सिंह 1 हि0 अर्जुन सिंह पुत्र प्रताप सिंह 3 हि0 रणजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह 3हि0 **ग्रा0नि0 कुल 102 हि0**

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि शासन का आशय उपर्युक्त वर्णित भूमि पर कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये उपरोक्त वर्णित भूमि में या उसके किसी भाग में, अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के, उनकी आपत्तियों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बन्ध में, उनके आक्षेपों के साथ; पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे, सहस्वतधारी, उपस्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा कोई हित रखने वाले के रूप में इस घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन की अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय कलक्टर गढ़वाल, स्थान पौड़ी को व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कर सकते हैं।

ऐसे सभी दावे लिखित में किये जायेंगे तथा पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित भूमि में हितबद्ध है, हितों की प्रकृति तथा भूमि में इस घोषणा की प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ की सूचना का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(रामजी शरण शर्मा)
कलक्टर, गढ़वाल
(वास्ते भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ)